

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः

तरफ़ीन मुद्दे निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज								
1	2	3		4	5	6	7	8					
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम		खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा					
मौलासर		<table border="1"> <tr> <td>1290 1853</td> <td>1290 1852</td> </tr> <tr> <td>2188 1853</td> <td></td> </tr> </table>		1290 1853	1290 1852	2188 1853				1290/1853	1290 1853	0.4	महेश्वरी प्रभु
				1290 1853	1290 1852								
				2188 1853									
				2188/1853	2188 1853	0.04	जायल आदी						
1290/1852	1290 1852	0.06	महेश्वरी प्रभु										
<p>सुरेश्वरी प्रभु का नाम नुका एका सुधील प्रतीति का रकबा</p> <p>जायल आदी के नाम से रकबा का रकबा</p> <p>मौलासर (जायल आदी) का रकबा</p> <p>मौलासर (जायल आदी) का रकबा</p>													

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

क्रमांक :-

1083
14/12/21

दिनांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का मौलासर को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर